भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 234

19 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए नियत

ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना

***234. डॉ. संघमित्रा मौर्य:**

श्री लल्लू सिंह:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आवेदकों की संख्या की तुलना में कितने आवेदकों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के लिए बजट के आबंटन और उपयोग का ब्यौरा क्या है और इसकी प्रगति और परिणामों की निगरानी के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) उक्त योजना के माध्यम से ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी और लाभ को बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

भारी उद्योग मंत्री

(डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

विवरण

"ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना" के संबंध में लोकसभा में 19.12.2023 को उत्तर के लिए नियत डॉ. संघमित्रा मौर्य और श्री लल्लू सिंह के तारांकित प्रश्न संख्या 234 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): सरकार ने भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई-ऑटो) को 15.09.2021 को मंजूरी दी जिसका बजटीय परिव्यय 25,938 करोड़ रुपये है। पीएलआई-ऑटो स्कीम में उन्नत मोटरवाहन प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोटर वाहन विनिर्माण मूल्य-श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान है। स्कीम का विवरण भारी उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट https://heavyindustries.gov.in/pli-scheme-automobile-and-auto-component-industry पर है।

इस स्कीम के तहत 115 कंपनियों ने आवेदन प्रस्तुत किए थे और 85 आवेदक कंपनियों का चयन किया गया था जिनमें 18 मूल उपकरण विनिर्माता और 67 घटक विनिर्माता कंपनियां शामिल थीं।

(ख): पीएलआई ऑटो स्कीम का कुल अनुमोदित बजटीय परिव्यय 25,938 करोड़ रुपये है और संवितरण वित्त वर्ष 2024-25 से प्रारंभ होगा।

स्कीम की प्रगति और परिणाम की निगरानी के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. परियोजना प्रबंधन एजेंसी (आईएफसीआई लिमिटेड) की नियुक्ति;
2. स्कीम के ऑनलाइन पोर्टल https://pliauto.in/ का शुभारंभ;
3. घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी गई है;
4. अनुमोदित लाभार्थी कंपनियों के विनिर्माण संयंत्र का आवधिक दौरा;
5. स्कीम की प्रगति की तिमाही समीक्षा।

(ग): स्कीम के तहत पात्रता मानदंड इस प्रकार थे- चैम्पियन मूल उपकरण विनिर्माता कंपनियों का वैश्विक कारोबार 10,000 करोड़ रुपये का हो और नियत परिसंपत्तियों में निवेश 3000 करोड़ रुपये का हो। घटक चैंपियन कंपनियों का वैश्विक कारोबार 500 करोड़ रूपए का हो और नियत परिसंपत्तियों में निवेश 150 करोड़ रुपये का हो।

इस स्कीम से ऑटोमोटिव उद्योग में वैश्विक चैंपियनों को तो बढ़ावा मिल ही रहा है, इससे अनुषंगी (डाउनस्ट्रीम) विनिर्माण कार्य में भी समग्र वृद्धि होगी और आपूर्ति-श्रृंखला की स्थापना होगी जिसमें लघु और मध्यम उद्यमों के सहभागी बनने और लाभान्वित होने की संभावना है।

***